

विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v
	कार्यकारी सारांश	1-4
अध्याय-I		
परिचय		
1.1	पृष्ठभूमि	5
1.2	योजना के उद्देश्य	5
1.3	अभिसरण	5
1.4	लाभार्थी सहायता सेवाएँ	5
1.5	इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच	6
1.6	झारखण्ड में पीएमएवाई-जी	6
1.6.1	राज्य में पात्र लाभार्थी	7
1.6.2	राज्य में आवासों की स्वीकृति एवं निर्माण	9
1.7	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	9
1.8	लेखापरीक्षा के मानदंड	9
1.9	लेखापरीक्षा का दायरा एवं कार्यपद्धति	10
1.10	प्रतिवेदन की संरचना	11
अध्याय-II		
लाभार्थियों की पहचान एवं चयन		
2.1	ग्राम पंचायतों के पास अभिलेखों की अनुपलब्धता	13
2.1.1	जिला अपीलीय समिति	14
2.2.1	प्राथमिकता सूची/पीडब्लूएल में कमियाँ	15
2.2.2	अंतिम रूप से तैयार एसईसीसी-प्राथमिकता सूची/ पीडब्लूएल से अपात्र लाभार्थियों को हटाना	17
2.3	आवास लाभार्थी	24
2.4	भौतिक लक्ष्यों का अभ्यर्पण एवं प्रत्याहरण	25
2.5	भूमिहीन लाभार्थी	26
2.6	विशेष परियोजनाएँ	27
2.7	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण	29
2.8	वार्षिक चयन सूची	30
2.9	निष्कर्ष	30
अध्याय-III		
अभिसरण सहित योजना का क्रियान्वयन		
3.1	पीएमएवाई-जी का क्रियान्वयन	33

कंडिका		पृष्ठ संख्या
3.1.1	वार्षिक कार्य योजना	33
3.1.2	पीएमएवाई-जी लाभार्थियों का पंजीकरण	34
3.1.3	आवासों का लक्ष्य, स्वीकृति एवं पूर्णता	35
3.1.4	आवास निर्माण में विलंब	37
3.1.5	अपूर्ण आवास एवं सहायता राशि की वसूली	37
3.1.6	संयुक्त भौतिक सत्यापन	40
3.2	लाभार्थियों को सहायक सेवाएँ	43
3.2.1	नमूना (डेमो) आवासों का निर्माण	44
3.2.2	लाभार्थियों द्वारा आवास डिज़ाइन प्रारूपों को न अपनाना तथा तकनीकी संस्थानों की पहचान न किया जाना	44
3.2.3	हरित आवासों का निर्माण	46
3.2.4	राजमिस्त्रियों को अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं कौशल प्रमाणन	46
3.2.5	लाभार्थियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में सुविधा प्रदान करना	49
3.3	अभिसरण	50
3.4	पीएमएवाई-जी आवासों के जियो-टैगिंग में कमियाँ	52
3.5	निष्कर्ष	52
अध्याय-IV		
वित्तीय प्रबंधन		
4.1	बजट प्रावधान, निधियों को जारी करना एवं व्यय	55
4.1.1	केंद्र के हिस्से को राज्य नोडल खाते में स्थानांतरित करने में विलंब	56
4.1.2	राज्य के संगत हिस्से को जारी करने में विलंब	57
4.2	प्रशासनिक निधि	57
4.2.1	निधियों का विचलन	58
4.2.2	प्रशासनिक निधियों की रोकड़ बही का अनुरक्षण	59
4.3	लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करने में विलंब	60
4.4	मनरेगा के अंतर्गत प्रति लाभार्थी कार्य-दिवस सृजन में कमी	61
4.5	अपात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करना	62
4.6	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा तैयार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अनियमितताएँ	63
4.7	निष्कर्ष	64

कंडिका		पृष्ठ संख्या
अध्याय-V		
अनुश्रवण एवं निरीक्षण		
5.1	राज्य/जिला/प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयाँ	65
5.1.1	राज्य/जिला/प्रखंड पीएमयू का गठन	65
5.1.2	राज्य/जिला/प्रखंड पीएमयू के कर्तव्य	66
5.2	राज्य/जिला/प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण	68
5.2.1	राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुश्रवण	68
5.2.2	जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुश्रवण	69
5.2.3	प्रखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण	69
5.2.4	क्षेत्र अधिकारी अनुवीक्षण ऐप	70
5.3	ग्राम पंचायतों की भूमिका	70
5.4	सामाजिक लेखापरीक्षा	72
5.5	शिकायत निवारण तंत्र	73
5.5.1	केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली	73
5.6	आंतरिक लेखा-परीक्षा	74
5.7	सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से अनुश्रवण	74
5.8	निष्कर्ष	74
	परिशिष्ट	77-80
	संक्षिप्त रूपों की शब्दावली	81-82

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	1.9	जिलों, प्रखंडों, ग्राम पंचायतों एवं लाभार्थियों के चयन हेतु अपनाई गई सैम्पलिंग एवं सैम्पलिंग पद्धति को दर्शाने वाले विवरण	77
3.1	3.1.2	पंजीकरण पुस्तिका (2016) के अनुसार लाभार्थियों के पंजीकरण के समय अपेक्षित जानकारी	78
3.2	3.1.3	नमूना-जांचित जिलों में वर्ष 2019-24 के दौरान पूर्ण निर्माण किए गए पीएमएवाई-जी आवास	79
5.1	5.1.1	पीएमयू (राज्य/जिला/प्रखण्ड) में स्वीकृत पद-संख्या एवं कार्यरत कर्मिकों की स्थिति	80

